न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 16 / 2018 (उदयपुर डिक्री)

1. बडा नागदा सेवा समिति जरिये अध्यक्ष श्री हर्षद नागदा पिता श्री भंवरलाल जी नागदा, निवासी 225, हनुमान चौक, गणेश नगर, पायड़ा, उदयपुर (राज.)
2. भंवरलाल नागदा पिता काशीराम जी नागदा, निवासी गणेश नगर, पायड़ा, उदयपुर (राज.)
3. द्वारका प्रसाद नागदा पिता काशीराम जी नागदा, निवासी गणेश नगर, पायड़ा, उदयपुर (राज.)
4. जगदीश नागदा पिता डालचन्द जी नागदा, निवासी बोहरा गणेश जी चौराहा, गणेश नगर, पायड़ा, उदयपुर (राज.)
5. राजीव नागदा पिता मोहनलाल जी नागदा, निवासी 261, गणेश नगर, पायड़ा, उदयपुर (राज.)
6. देवीलाल नागदा पिता राधाकिशन जी नागदा, निवासी 256, हनुमान चौक, गणेश नगर, पायड़ा, उदयपुर (राज.)
7. भूपेन्द्र नागदा पिता भंवरलाल जी नागदा, निवासी 255, गणेश नगर, पायड़ा, उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. महेशचन्द्र शर्मा पिता मदन मोहन जी शर्मा, निवासी 123, खारोल कॉलोनी, फतेहपुरा, उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती राधा रानी शर्मा पत्नी महेशचन्द्र जी शर्मा, निवासी 123, खारोल कॉलोनी, फतेहपुरा, उदयपुर (राज.)
3. निशान्त शर्मा पिता महेशचन्द्र जी शर्मा, निवासी 123, खारोल कॉलोनी, फतेहपुरा, उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती बीना भट्ट पिता श्री के. सी. भट्ट, निवासी 19, रेजीडेंसी रोड़, उदयपुर।
5. विवके लवानिया पिता श्री बी. के. लवानिया, निवासी 327, चरक मार्ग, अम्बामाता, उदयपुर (राज.)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, दिनांक 10–01–2018, प्रकरण संख्या 102 / 17

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:24 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री नरेश जणवा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री हुकमसिंह देवड़ा अभिभाषक रे.सं. 1 से 5
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे. 6

———::———

निर्णय **दिनांक 27–09–2023**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 92–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव पायड़ा, तहसील गिर्वा में हाल आराजी नंबर 120 मी. रकबा 38.8400 हैक्टर एवं 120/1135 रकबा 0.0600 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 38.9000 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें ब्राहमण बड़ा नागदा का 2/3 हिस्सा एवं ब्राहमण छोटा पालीवाल का 1/3 हिस्सा अंकित है। इस प्रकार समस्त ब्राहमण बड़ा नागदा एवं ब्राहमण छोटा पालीवाल उक्त भूमि पर अपने बाप–दादाओं के समय से काबिज चले आ रहे हैं। वादी संख्या 1 एक पंजीकृत संस्था है तथा वादी संख्या 2 से 7 गांव के प्रतिष्ठित नागरिक हैं। उक्त भूमि में पूर्व में गांव के मवेशी चरते थे, लेकिन कालान्तर में गांव पायड़ा शहर में आने से पशुधन कम हो गया, जिससे उक्त भूमि लम्बे समय से जंगल के रूप में खुली पड़ी है तथा शहर के नजदीक होने से भूमि की कीमते बढ़ने से भूमाफियाओं की नजर पड़ने लग गयी है इसलिए वे उक्त भूमि पर येनकेन प्रकारेण कब्जा करना चाहते हैं। कुछ दिन पूर्व वादीगण अपनी भूमि देखने गये तो वहां बाउण्ड्रीवाल बिखरी पड़ी थी तथा नई बाउण्ड्रीवाल का निर्माण हो रहा था। पूंछने पर मिस्त्री ने बताया कि मुझे महेश शर्मा ने बाउण्ड्रीवाल बनाने के लिए कहा है इसलिए बना रहा हूॅ तथा यह भी बताया कि उक्त भूमि महेश शर्मा व उनके साथियों ने क्रय कर ली है एवं कब्जा कर रहे हैं, जबकि उक्त भूमि किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, बल्कि समाज के सार्वजनिक उपयोग की है। किसी भी व्यक्ति को उक्त सम्पत्ति को रहन, बैह, बक्षीस से हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं है। यदि इस प्रकार का कोई निष्पादन हुआ है तो वह वादीगण के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं धारा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण ने सार्वजनिक हित की भूमि बताते हुए वाद प्रस्तुत किया है, जबकि इन्हीं आराजीयात बाबत् पूर्व में वाद प्रस्तुत हुआ था, जिसमें वादी स्वयं पक्षकार थे, जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि वाद संख्या 2/2000 निजी हितों के आधार पर प्रस्तुत किया है, तो पश्चात्वर्ती वाद में इसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:24 IST
Reason: SelfAttested

सार्वजनिक हित के बताते हुए जो वाद प्रस्तुत किया गया है वह विधि द्वारा वर्जित होने से इसी स्तर पर खारिज योग्य है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 10–01–2018 से प्रतिवादीगण का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 05–02–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 की ओर से वकील श्री हुकमसिंह देवड़ा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/वादीगण का वाद विधि विरूद्ध नहीं था। अधिनस्थ न्यायालय को वाद में किये गये अभिकथनों के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए था, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने नजर अंदाज कर दिया। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि आदेश 7 नियम 11 में वाद तभी खारिज किया जा सकता है जब वह प्रथम दृष्टया देखने से विधि विरूद्ध लगता हो। मात्र प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र में किये गये अभिकथनों के आधार पर आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद खारिज नहीं किया जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय को वाद बिन्दु कायम कर तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था। अपीलान्ट/वादीगण ने जनहित में वाद पेश किया है तथा पूर्व वाद एवं वर्तमान वाद में अलग–अलग पक्षकार हैं तथा दोनों में वाद कारण भिन्न हैं, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जाकर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि हस्तगत वाद के वादी संख्या 1, 2, 3 व 7 माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी संख्या 4688/[illegible] विपक्षीगण के रूप में संयोजित है। ऐसी स्थिति में जहां पूर्व [illegible] वादीगण कि[illegible] वाद की विषय वस्तु में सम्मिलित हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:24 IST
Reason: SelfAttested

तो पश्चात्वर्ती वाद में किसी प्रकार की दाद पाने के अधिकारी नहीं है एवं इस कारण वाद चलने योग्न नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय ने वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न निगरानी संख्या 4688/2003 में हाल अपीलान्ट/वादी संख्या 1 व 7 विपक्षी संख्या 3/4 व 3/5 के रूप में तथा वादी संख्या 2 व 3 विपक्षी संख्या 40/2 व 40/4 के रूप में संयोजित हैं एवं उक्त निगरानी इन्हीं विवादित आराजियात बाबत् है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में यह स्पष्ट अंकित किया है कि ''वादीगण द्वारा वाद सार्वजनिक हितार्थ प्रस्तुत किया गया है, जबकि प्रस्तुत प्रकरण में किसी प्रकार का कोई सार्वजनिक हित प्रभावित नहीं हो रहा है तथा इसी न्यायालय का प्रकरण संख्या 2/2000 वाद घोषणा का होकर माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी संख्या 4688/2003 लम्बित है। वादीगण किसी प्रकार की कोई दाद चाहते हैं तो माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत करें। वाद पत्र में वर्णित आराजियात पूर्व से विचाराधीन है, फिर नया वाद प्रस्तुत करने का क्या औचित्य है।'' उक्त आधारों पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा बाधित होने के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण का वाद इसी स्टेज पर खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–01–2018 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 27–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:24 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

बड़ा नागदा सेवा समिति जरिये अध्यक्ष हर्षद नागदा पिता भंवरलाल जी नागदा, निवासी 225, हनुमान चौक, गणेश नगर, पायड़ा, उदयपुर व अन्य

बनाम

महेशचन्द्र शर्मा पिता मदन मोहन शर्मा नि0 123, खारोल कॉलोनी, फतेहपुरा, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं.....**16/2018**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी .....गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**10**.....माह.....**01**.....**2018**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**27**.....माह.....**09**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री नरेश जणवा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व..... **श्री हुकमसिंह देवड़ा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–01–2018 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ..... **X**.....
...
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**27**.....माह.....**09**.....**2023** को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:24 IST
Reason: SelfAttested